कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जुलाई २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

i. सहायक सचिवों (वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी) का उद्घाटन सत्र 4 जुलाई, 2018 को आयोजित किया गया था। इस अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन अधिकारियों को क्षेत्र प्रशिक्षण (फील्ड ट्रेनिंग) संबंधी अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जनभागीदारी, सूचना प्रवाह, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और शासन-तंत्र में जनता का विश्वास आदि सहित सुशासन की कुछ प्रमुख बातों के संबंध में उनके साथ चर्चा की। ग्राम स्वराज अभियान और आयुष्मान भारत जैसी शासन की नई पहलों पर भी चर्चा की गयी। इस अवसर पर माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

ii. सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, विनय मार्ग, नई दिल्ली में दिनांक 11.07.2018 को सहायक सचिवों (वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी) के साथ पारस्परिक संवाद सत्र की अध्यक्षता भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा की गयी। इस अवसर पर बोलते हुए भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने इन अधिकारियों को न केवल लोगों को 'लक्षित समूह' अथवा 'लाभार्थियों', जैसा हम उन्हें मानते हैं, के रूप में देखने बल्कि उन्हें भारत को बदलने के सक्रिय अभिकर्ताओं के रूप में देखने के लिए कहा। माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) ने भी इन अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि आईएएस अधिकारियों के केंद्र सरकार के साथ अटैचमेंट की एक ऐसे तंत्र के रूप में परिकल्पना की गई है जिससे युवाओ का अनुभव के साथ मेल हो जाता है।

iii. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किया गया और इसे माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति प्राप्त हो गई और सामान्य सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में दिनांक 26.07.2018 को प्रकाशित किया गया।

iv. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा-2017 के आधार पर संस्तुत किए गए 848 उम्मीदवारों का दिनांक 31.07.2018 को विभिन्न सेवाओं अर्थात् आईएएस, आईएफएस, केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'क' और समूह 'ख', के लिए आवंटन किया गया।

v. जुलाई माह के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) में 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इसमें 04 सीएसएस-सीटीपी (02 स्तर-घ, स्तर-ड और स्तर-ख) और 01 सीएसएसएस-सीटीपी (स्तर-III) कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 966 थी।

vi. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' और 'ख' के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में 5 मामलों में (1 सीएमडी/एमडी और 4 कार्यकारी निदेशक) नियुक्तियों को अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की पांच (5) नियुक्तियां, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यकारियों की दो (02) नियुक्तियाँ, समयपूर्व प्रत्यावर्तन का एक (01) प्रस्ताव, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति के दो (02) प्रस्ताव, समय विस्तार के आठ (08) प्रस्ताव एवं कार्यकाल के लघुकरण का एक (01) प्रस्ताव, मंत्रिमंडल सचिव/ मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किए गए। इसके अतिरिक्त, 4 अधिकारी केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव देकर प्रतिधारित किए गए।

vii. वर्ष-2019 के दौरान केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में होने वाले अवकाश के संबंध में एक आदेश इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/02/2018-जेसीए-2 के माध्यम से जारी किया गया।

viii. लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 10 (दस) पदों हेतु [अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष पद हेतु 2 (दो) पद और निदेशक हेतु 8 (आठ) पद] विज्ञापन जारी किया और

15 चयन बैठकें [अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक हेतु 01 (एक), सदस्य के लिए 01 और निदेशक के लिए 13 (तेरह)] कीं।

ix. शासन से संबंधित सचिवों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों के अनुपालन में सरकार ने भारत सरकार में संयुक्त सचिव (जेएस) स्तर के पदों पर पार्श्व भर्ती (लेटरल रिक्रूटमेंट) करने का निर्णय लिया। विज्ञापन के उत्तर में दिनांक 30 जुलाई, 2018 तक की स्थिति के अनुसार संयुक्त सचिव (जेएस) पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 290 से लेकर 1100 तक कुल 6,077 आवेदन प्राप्त हुए थे।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए गए।

क) दिनांक 17.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18017/1/2014-स्था. (छुट्टी) के माध्यम से ऐसे सरकारी सेवक जिनके स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौटने की संभावना न हो, को छुट्टी के संबंध में समेकित अनुदेश।

ख) दिनांक 20.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/11/2016-स्था. (वेतन-II) के माध्यम से संघ के मंत्रियों के निजी स्टॉफ में नियुक्ति हेतु दो प्रतिनियुक्तियों के मध्य अनिवार्य "उपशमन अवधि" के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में अनुदेश।

ग) दिनांक 17.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 27012/02/2017-स्था.(भत्ता) के माध्यम से संतान शिक्षा भत्ता (सीईए) और छात्रावास राजसहायता (सब्सिडी) प्रदान करने सम्बन्धी निर्णयों के क्रियान्वयन के विषय में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में समेकित अनुदेश।